55

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

राजस्थान-जयपुर

क्रमांक: दिनांक:

वाद संख्या 1/82151

विषय: राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात हाउसिंग कॉलोनी निर्माण हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड ग्राम सुखालपुरा खसरा नम्बर 17 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 22 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा.

पीठासीन अधिकारी

श्री मूलचंद आर.ए.एस. विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

पक्षकार:-

1. श्री लादू, गणेश पिसरान नानू माली निवासी ग्राम सुखालपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर जरिये श्री रामचन्द्र शर्मा, एडवोकेट
2. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर जरिये श्री दीनदयाल शर्मा एडवोकेट

:: अवार्ड ::

।1। राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात हाउसिंग कॉलोनी बनाने हेतु निम्न ग्रामों के सामने अंकित भूमि को अवाप्त करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 53 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जावेगा की धारा 4 के अन्तर्गत दिये जिसकी अधिसूचना क्रमांक एफ-71721 न.वि.आ./11/81 दि. 12.1.82 व

....2....

राजस्थान राजपत्र के भाग "ख" में दिनांक 13.1.82 को प्रकाशित की गई । ग्रामवार भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:--

क्र.सं.	ग्राम का नाम	बीघा	बिस्वा
1.	सुखाम्पुरा	807	06
2.	देहरी	679	04
3.	झालानाचौड	936	03
4.	बलरामपुरा उर्फ डेकडावाला	30	11
5.	मानपुर देहरी उर्फ गोल्यावास	27	07
6.	नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावास	82	04
	योग:	2570	15

।2। तत्पश्चात राज्य सरकार ने भूमि की अवाप्ति की अति आवश्यकता को ध्यानमें रखते हुए राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उप धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9 की उप धारा।1। में उल्लेखित नोटिस में प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक एफ-7172।न.वि.अ./11/81। दिनांक 9 फरवरी, 1982 जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 9.2.82 भाग -1 "ख" में प्रकाशित हुई के द्वारा अधिकृत किया ।

।2। धारा 17।4। की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात अवाप्ति के अन्तर्गत भूमि का सर्वे तहसीलदार, सांगानेर से कराया गया । तत्पश्चात समस्त खातेदारों/ हितधारियों के नाम भूमि का कब्जा स्थानान्तरण हेतु तथा अपना हक व हित प्रस्तुत करने हेतु पब्लिक नोटिस नियमानुसार दिनांक 5.5.82 को प्रकाशित कराया गया । पब्लिक नोटिस प्रकाशित होने के 15 दिवस पश्चात निम्न लिखित तिथियों में भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया ।

...निर्माणाधिकारी
...स एवं आव... विभाग
...स्थान, जयपुर.

....3.....

दिनांक 22.5.82 ग्राम सुखालपुरा, नन्द किशोरपुरा,
उर्फ मान्यावास एवं देवरी

दिनांक 24.5.82, झालाना चौड़, बलरामपुरा उर्फ भैंसावाला
मानपुर टेहरी उर्फ गोल्यावास.

भूमि का कब्जा लिया जाकर मौके पर ही राजस्थान आवासन मण्डल के प्रतिनिधि को सौंपाया गया ।

(4) उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात विभिन्न काश्तकारों / हितधारियों को अधिनियम की धारा 9(3) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये तथा खसरा नम्बर की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचना दैनिक पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19.6.82 में प्रकाशित की गई ।

(5) अधिनियम की धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस प्रकाशित करने से पूर्व सरकार के पत्र क्रमांक एफ-7(72) न.वि.आ./11/81 दिनांक 29.4.1982 द्वारा ग्राम सुखालपुरा, झालानाचौड एवं गोल्यावास की कुछ खसरा नम्बरों की भूमि की अवाप्ति कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई, अतः अधिनियम की धारा 9(1) के नोटिस में स्थगन आदेश सम्बन्धित भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया एवं कब्जा भी नहीं लिया गया । इस प्रकार स्थगन आदेश संबंधित भूमि को छोडते हुए तथा राजस्व अधिकार में अंकित रकबे से अधिक रकबे को छोडते हुए निम्न ग्रामों के आगे अंकित भूमि का कब्जा दिनांक 22.5.82 एवं 24.5.82 को लिया जाकर राजस्थान आवासन मण्डल को सौंपा गया ।

	नाम ग्राम	बीघा	बिस्वा
1.	बलरामपुरा उर्फ भैंसडावाला तहसील सांगानेर	38	.11
2.	मानपुर टेहरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर	24	06
3.	नन्द किशोरपुरा उर्फ मान्यावास तहसील सांगानेर	82	04
4.	झालाना चौड तहसील सांगानेर	852	10
5.	देवरी तहसील सांगानेर	667	13
6.	सुखालपुरा तहसील सांगानेर	726	19
	योग:	2392	11

...शाधिकारी
...स एवं आवासन विभाग
...थान, जयपुर.

16। खसरा नम्बर 17 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 22 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा जिसका अवार्ड किया जा रहा है वह भूमि ग्राम [illegible] तहसील [illegible] की 726 बीघा 19 बिस्वा भूमि में सम्मिलित है । जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है:---

क्र.सं.	नाम खातेदार/ हितधारी	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा-बिस्वा)	किस्म भूमि
1.	श्री लादू पुत्र नानू	17	0-05	गै.मु. रास्ता
2.	श्री गणेश पुत्र नानू	22	0-02	गै.मु. चाह
2.	श्री लादू पुत्र नानू	23	0-07	गै.मु. आबादी
	जाति माली	24	7-10	चाही
	योग		8-04	

उपरोक्त भूमि में खसरा नम्बर 17 रकबा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 22 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 7 बिस्वा के के एक खातेदारश्री गणेश के पुत्रों के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 17.7.76 स्वीकार हो चुकाहै अतः श्री गणेश के स्थान पर भँवर लाल, तोताराम, तूजीलाल, चौथू, किशोर पिसरान गणेश माली हितधारी खातेदार मानते हुए अवार्ड गणेश की बजाय उसके वारिसान खातेदारों के नाम दिया जा रहा है । श्री किशोर पुत्र गणेश नाबालिग है अतः श्री किशोर बविलाय तूणी बेवा गणेश माता के जरिये मुआवजा पाने का अधिकारी है ।

17। अधिनियम की धारा 9(3) के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस दिये जिसके उत्तर में श्री लादू पुत्र नानू भँवर लाल, तोताराम, तूजीलाल, चौथू व किशोर पि. गणेश माली ने खसरा नम्बर 17 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 22 रकबा 2 बिस्वा तथा श्री लादू पुत्र नानू माली ने खसरा नम्बर 23 रकबा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 24 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा का क्लेम प्रस्तुत किया जिनका ब्यौरा निम्नप्रकार से है :---

विभाग
जयपुर.

: 5 :

1. श्री लादू पुत्र नानू हिस्सा 1/2 व श्री भौर लाल, हीरालाल मूलचन्द, चौथू, गिरीश पि. गम्भीर हिस्सा 1/2 [illegible] का प्रस्तुत क्लेमःखसरा नम्बर 17,
रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 22 रकबा 2 बिस्वा
कुल रकबा 7 बिस्वा

(क) 7 बिस्वा भूमि की कीमत 45,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से	15,750.00
(ख) भूमि की पोटेन्शियल वैल्यू 15,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से	5,250.00
(ग) सीमेन्ट के कुए की कीमत	62,267.00
(घ) अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10 प्रतिशत अतिरिक्त	7,326.00
(ङ) अवाप्ति कार्यवाही में धन एवं समय व्यय का मुआवजा	3,663.00
(च) 22.5.82 से मुआवजा मिलने तक 6 प्रतिशत ब्याज	

2. श्री लादू पुत्र नानू, जाति माली के द्वारा खसरा नम्बर 23 रकबा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 24 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 7 बीघा17 का प्रस्तुत क्लेम द्वारा प्रस्तुत क्लेमः-

(क) 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि का मुआवजा 45,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से	3,37,500.00
(ख) भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 7 बिस्वा आबादी भूमि की कीमत 30/- रुपये प्रति वर्गगज की दर से	31,500.00
(ग) भूमि की पोटेन्शियल वैल्यू 15,000/- प्रति बीघा की दर से	1,12,500.00
(घ) मिट्टी की डौलो की कीमत	4,800.00
(ङ) भूमि विकास व्यय	15,000.00

अधिकारी
आस एवं आवास विभाग
जयपुर

60

।च। [illegible] के आगोर एवं कुओं का मुआवजा 60,000.00

।छ। [illegible] पम्पहाउस मोटर का मुआवजा 7,900.00

।ज। ट्यूबवेल बोरिंग एवं बिजली 91,593.00

।झ। मकानात, छप्पर एवं कच्चापक्की बाड़ियों आदि का मुआवजा 24,679.00

।ट। मुआवजे कीराशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा

।ठ। अवाप्ति कार्यवाही में समय एवं धन व्यय का 5 प्रतिशत मुआवजा

।ड। शिफटिंग चार्जेज 1,000.00

।ढ। मुआवजे की राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज।

।8। राजस्थान आवासन मण्डल ने दावेदारान के क्लेमों का उत्तर देते हुए भूमि को केवल 10,000/- प्रति बीघा देना प्रस्तावित किया है ।

।9। भूमि पर स्थित कुओं व अन्य स्ट्रेक्चर्स का तखमीना प्रस्तुत कर आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता ने 93,811.40 रुपये दिया जाना प्रस्तावित किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:--

।क। मिट्टी की डोली	1,565.00
।ख। मिट्टी एवं छप्पर घर-15	26,787.60
।ग। टारा-2	200.00
।घ। इलैक्ट्रीक रूम-2	1,808.80
।ड। वाटर टैंक बड़ा	300.00
।च। कुए ।बोरिंग सहित । -दो	60,000.00
।छ। वृक्ष -3।	3,150.00
योग	93,811.40

।10। दावेदारान की ओर से अपने क्लेमों के समर्थन में निम्न लिखित दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये है :-

।1। नकल विक्रय पत्र दिनांक 1.1.73

।2। नकल विक्रय पत्र दिनांक 18.7.72

।3। नकल विक्रय पत्र दिनांक 9.8.71

.....7...

[illegible] राजस्व विभाग [illegible], जयपुर.

61

(4) पत्रक निगम की दिनांक 15.11.73

(5) पत्रक जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2029

(6) पत्रक खसरा गिरदावरी सम्वत 2035 से 2039

(11) आवासन मण्डल द्वारा दावेदारान के क्लेमों का उत्तर प्रस्तुत किया गया तथा आवासीय अभियन्ता ने भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स का तखमीना प्रस्तुत किया है।

(12) मैंने इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि का मौका निरीक्षण इस योजना के आवासीय अभियन्ता के साथ किया, इस प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। दावेदारान ने अपने क्लेमों में भूमि की दर 45,000/-रुपये प्रति बीघा की दर से तथा आबादी भूमि की दर 30/- प्रति वर्गगज कीदर से मांग की है। किन्तु अपनी मांग के समर्थन में जो विक्रय पत्र प्रस्तुत किए हैं उनसे उनके द्वारा मांगी गई कृषि भूमि व आबादी भूमि की दर सिद्ध नहीं होती है तथा मैं इन दरों को अत्याधिक मानता हूँ। आवासनमण्डल की ओर से इस योजना में कृषि भूमि की दर से 10,000/- प्रति बीघा देना प्रस्तावित कियाहै। मैं इस भूमि की दर को भूमि की बढ़ती हुई कीमत व इसकी पौटेन्शियालिटी को देखते हुए कम मानता हूँ। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा भूमि विज्ञप्ति दिनांक की भूमि की दर निर्धारित करना है क्योंकि इन मामलों में सम्बन्धित विज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.1.82 को जारी की जा चुकी है और इसके पश्चात इसी क्षेत्र के कई मामलों का निर्धारण भी किया जा चुका है, जिसमें भूमि की दर ग्राही 20,000/- प्रति बीघा डारानी एवं बंजड 19,000/= प्रति बीघा एवं सडक की सीमा में आने वाली भूमि की दर 1000/- प्रति बीघा अतिरिक्त निर्धारित की गई है। अतः इन दरों को भी मध्य नजर रखना न्यायोचित होगा।

प्रस्तुत प्रकरण में बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता दावेदारान ने मेरा ध्यान श्री लादू पुत्र नानू व श्री गणेश पुत्र नानू की भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 5 बिस्वा एवं 22 खसरा नम्बर 22 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 7 बिस्वा एवं श्री लादू पुत्र नानू की भूमि

...अधिकारी
...कास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

खसरा नम्बर 8 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा की ओर आकर्षित किया और कहा कि भूमि चाही है कुआँ भी खुदा हुए बने हुए हैं इस भूमि में रबी एवं खरीफ की दोनों फसलें पैदा की जाती है अतः भूमि का मुआवजा चाही मान कर तय किया जाना चाहिए तथा भूमि सड़क सीमा में है अतः 1,000/- रुपया प्रति बीघा अतिरिक्त दिया जाना चाहिए । अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान पत्रावली में प्रस्तुत खसरा गिरदावरी की ओर दिलाया । मैंने पत्रावली के अवलोकन एवं मौका निरीक्षण से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तथ्यों को सही पाया मैं विद्वान अधिवक्ता की बहस से सहमत हूँ तथा इस भूमि का मुआवजा 21,000/- प्रति बीघा की दर से देना न्यायोचित मानता हूँ ।

विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मेरा ध्यान श्री लादू पुत्र भानु की भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 7 बिस्वा की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि यह भूमि आबादी भूमि है अतः इस भूमि का मुआवजा आबादी भूमि मान कर हमारे क्लेम के अनुसार इसका मुआवजा दिया जाना चाहिए । विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि यह भूमि आबादी की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है यह भूमि सड़क के बिल्कुल नजदीक है तथा बाईपास व रोड से भी नजदीक है इसके आस पास कई आवासीय बस्तियां बन चुकी है और आवासन मण्डल भी इस योजना के तहत इस भूमि में आवासीय मकान बनाने जा रहा है अतः इनका तथ्यों को मध्य नजर रख कर आबादी भूमि का मुआवजा तय किया जाना चाहिए । विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी की ओर दिलाया और कहा कि खसरा नम्बर 23 रकबा 7 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में आबादी दर्ज है मैंने पत्रावली का अवलोकन किया और पाया कि भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 7 बिस्वा राजस्व रेकार्डमें आबादी दर्ज है तथा भूमि आबादी के रूप में काम में ली जा रही है अतः मैं इस आबादी भूमि की उपयोगिता को देखते हुए मुआवजा 20/- रुपये प्रति वर्गगज से कम देना न्यायोचित नहीं मानता हूँ ।

अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

....9.....

विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मेरा ध्यान श्री लादू श्री गणेश पि. लादू की भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा भूमि 5 बिस्वा व खसरा नम्बर22 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 7 बिस्वा की ओर दिलाया और कहा कि श्री गणेश की मृत्यु उसके वारिसान पुत्रगण श्री भंवरलाल, सीताराम, सूजीलाल, चौथू, एवं किशोर के नाम विरासत का नामान्तरकरण संख्या 39 दिनांक 17.7.76 के जरिये स्वीकार किया जा चुका है तथा अब इस 7 बिस्वा भूमि व व इसमें स्थित कुए के खातेदार काश्तकार श्री लादू पुत्र नानू हिस्सा 1/2 तथा हिस्सा 1/2 में बराबरहिस्सा पाने के हकदार श्री भंवरलाल, सीताराम, सूजी लाल, चौथू एवं किशोर पुत्रान गणेश माली है श्री किशोर नाबालिग है इसलिए वह बलियाय सूजी पिता गणेश माली के जरिये अपना मुआवजा प्राप्त करेगा । विद्वान अधिवक्ता ने मेरा ध्यान आयोजनमण्डल द्वारा प्रस्तुत संशोधित तखमीने की ओर दिलाया और कहा कि आयोजन मण्डल ने इस प्रकरण की भूमि में बने दोनो कुओं का तखमीना 60,000/- रुपया देना प्रस्तावित किया है । विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि एक कुए का पूर्ण रूपेण मुआवजा पाने का हक दार श्री लादू पुत्र नानू है तथा एक अन्य कुए में श्री लादू पुत्र नानू का 1/2 हिस्सा है तथा शेष 1/2 भाग में श्री भंवर लाल, सीताराम, सूजीलाल, चौथू एवं किशोर बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है । अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार कुए का मुआवजा निर्धारित कियाजाना चाहिए । मैने पत्रावली का अवलोकन किया मैं विद्वान अधिवक्ता की बहस से सहमत हूँ ।

विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान भूमि पर बने स्ट्रेक्चर्स की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया और कहा कि इनका मुआवजा हमारे क्लेम के अनुसार दिया जाना चाहिए । मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा आयोजीय अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत तखमीने का ध्यान से अवलोकन किया । और पाया कि तखमीना पी.डब्ल्यू.डी. बी.एस.आर. 1980 एवं बाजार दर पर आधारित है अतः मैं इस भूमि पर बने स्ट्रेक्चर्स का मुआवजा आयोजीय अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत संशोधित तखमीने के अनुसार स्वीकार करता हूँ ।

विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत प्रकरण में चूंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 17(4) के अन्तर्गत आपात कार्यवाही की गई, अतः अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार सोलेशियम 10 प्रतिशत मुआवजे की राशि पर दिलाया जावे। इस तर्क के संबंध में अधिनियम की धारा 23(2) का अवलोकन किया। अतः इसी आधार पर 10 प्रतिशत सोलेशियम दिया जाना भी न्यायोचित मानता हूं। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान ने अधिनियम की धारा 34 के अनुसार 4 प्रतिशत ब्याज दिया जाना आवश्यक बतलाया है क्योंकि खेत का कब्जा दिनांक 22.5.82 को आवासन मण्डल को दिया जा चुका है। मैंने अधिनियम की धारा 34 का अवलोकन किया, अतः मैं इस तर्क से भी सहमत हूं।

(3) उपरोक्त विवेचन के अनुसार निम्न प्रकार से मुआवजे का निर्धारण किया जाता है :-

1. लादू पुत्र नानू हिस्सा 1/2 एवं शेष हिस्सा 1/2 में श्री भंवर लाल, सीताराम, मूलीलाल, धीघु एवं किशोर को बराबर बराबर मिलने वाले हिस्से का मुआवजा

(क) भूमि खसरा नम्बर 17 रकबा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 22 रकबा 2 बिस्वा कुल रकबा 7 बिस्वा का मुआवजा 21,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से — 7,350.00

(ख) एक सीमेन्ट के कुए का मुआवजा, आवासन मण्डल के समझौते के अनुसार — 30,000.00

योग: 37,350.00

(ग) अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10 प्रतिशत की दर से — 3,735.00

योग: 41,085.00

(घ) मुआवजे की राशि पर 4 प्रतिशत ब्याज वार्षिक दर से दिनांक 22.5.82 से 17.11.83 तक — 2,451.40

कुल योग: 43,536.40

...हजार पांच सौ छत्तीस रुपये 40 पैसे मात्र।

अधिकारी
एवं आवासन विभाग
न, जयपुर.

3. श्री लादू पुत्र नानू जाति माली को निम्न प्रकार मुआवजा अधिनिर्णीत

(क) भूमि क्षेत्र खसरा 83 रकबा 7 बिस्वा बराबर 1058.75 वर्गगज का मुआवजा 20/- रुपये प्रति वर्गगज की दर से — 21,175.00

(ख) कृषि भूमि खसरा नम्बर 24 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा का मुआवजा 21,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से — 1,57,500.00

(ग) भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर्स का मुआवजा आवासन मण्डल के संशोधित तखमीने के अनुसार 93,811.40 रुपये में से एक कुए का मुआवजा 30,000.00 रुपये कम करके — 63,811.40

योग: 2,42,486.40

(घ) अनिवार्य अवाप्ति का मुआवजा 10 प्रतिशत की दर से — 24,248.64

=================

योग: 2,66,735.04

(ड) मुआवजे की राशि पर 4 प्रतिशत ब्याज वार्षिक दर से दिनांक 22.5.82 से 17.11.83 तक — 15,915.18

कुल योग: 2,82,650.22

(2,82,650.22)

(अंकरे दो लाख बयासी हजार छः सौ पचास रुपये 22 पैसे मात्र)

इस प्रकार आज दिनांक 17.11.1983 को कुल रुपये 3,26,186.62 (अंकरे तीन लाख छब्बीस हजार एक सौ छियासी रुपये 62 पैसे मात्र) का अवार्ड घोषित किया गया। अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड अन्तिम प्रभावी हो एवं अधिनियम की

.....12.....

...अधिकारी
...एवं आवास विभाग
राजस्थान, जयपुर.

धारा 12(2) के अनुसार [illegible] तोलाराम एवं दावेदारान को सूचित किया जावे तथा प्रतिलिपि शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर, सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर एवं तहसीलदार सांगानेर को प्रेषित है। निर्णय आज दिनांक 17.11.1983 को खुले इजलास सुनाया गया।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.

O/C

पृष्ठांकन क्रमांक: 1339+1342 / 17/11/83 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :---

1. शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. सचिव महोदय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर.
3. तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर
4. श्री लादू पुत्र नानू, श्री भंवर लाल, सीताराम, सूवालाल, चौथू एवं किशोर पि. गणेश। किशोर पुत्र गणेश नाबालिग बजरिये सूणी बेवा गणेश माता। जाति माली निवासी सुखलपुरा तहसील सांगानेर जिला-जयपुर

17/11/83
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.